फा. सं0. 42/06/2016-पी एण्ड पी डब्ल्यू(जी)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003
दि नां क : 03 मई, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय : अनुग्रह राशि का भुगतान पाने वाले अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) लाभार्थियों को 01.01.2016 से महंगाई राहत की स्वीकृति।

इस विभाग के दिनांक 28 अक्तूबर, 2015 के कार्यालय ज्ञापन सं0 42/10/2014-पी एण्ड पी डब्ल्यू(जी) के अनुक्रम में महामहिम राष्ट्रपति जी निम्नलिखित को दिनांक 1.1.2016 से 5वें केंद्रीय वेतन आयोग की दरों पर महंगाई राहत की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(i) ऐसे जीवित सीपीएफ लाभार्थी, जो 18.11.1960 से 31.12.1985 की अवधि के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं और जिन्हें इस विभाग के दिनांक 16.12.1997 के कार्यालय ज्ञापन सं. 45/52/97- पी एंड पीडब्ल्यू (ई) के तहत 1.11.1997 से 600/- रु. प्रतिमाह की दर से अनुग्रह राशि मिल रही है, और जिसे दिनांक 27 जून, 2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/10/2012- पी एंड पीडब्ल्यू (ई) द्वारा संशोधित कर, समूह क, ख, ग और घ कर्मचारियों के लिए दिनांक 04 जून, 2013 से क्रमश: 3000/- रु., 1000/- रु., 750/- रु. और 650/- रु. कर दिया गया है, वे 1.1.2016 से 245% की दर से महंगाई राहत पाने के हकदार हैं।

(ii) निम्नलिखित श्रेणी के सीपीएफ लाभार्थी जो इस विभाग के दिनांक 16.12.1997 के कार्यालय ज्ञापन सं0 45/52/97-पी एण्ड पी डब्ल्यू (ई) की शर्तों के अनुरूप अनुग्रह राशि का भुगतान प्राप्त कर रहे हैं, वे 1.1.2016 से 237% की दर से महंगाई राहत पाने के हकदार हैं।

(क) दिनांक 1.1.1986 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए मृत सीपीएफ लाभार्थी या सेवा में रहते हुए 1.1.1986 से पूर्व मृत सीपीएफ लाभार्थी की विधवाएं और आश्रित संतानें, जिन्हें 605/- रु. की अनुग्रह राशि मिल रही है, और जिसे दिनांक 27 जून, 2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/10/2012- पी एंड पीडब्ल्यू (ई) द्वारा दिनांक 04 जून, 2013 से संशोधित कर 645/- रु. कर दिया गया है।

(ख) केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी, जो 18.11.1960 से पूर्व सीपीएफ लाभ के साथ सेवानिवृत्त हुए हैं, और जिन्हें 654/- रु., 659/- रु., 703/- रु. और 965/- रु. की अनुग्रह राशि मिल रही है।

2. महंगाई राहत के भुगतान में पैसे वाले अंश को अगले रूपए में परिवर्तित कर दिया जाएगा । जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग से संबंधित लाभार्थियों पर इन आदेशों के लागू होने का संबंध है, ये नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं ।

3. यह वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 25.05.2015 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1(4)/ईv/2004 और दिनांक 22.04.2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1(3)/2008-ई.।।(बी) के अनुसार जारी किया जा रहा है ।

च तनेजा

(चरनजीत तनेजा)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग, भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक
2. प्रतिलिपि: भारतीय रिर्जव बैंक (आरबीआई) और सभी अधिकृत पेंशन वितरक बैंकों को सूचनार्थ।

पेंशन के बारे में आदेशों जिनमें उपर्युक्त आदेश शामिल हैं के लिए कृपया इस विभाग की वेबसाइट ***http://pensionersportal.gov.in*** *देखें।*